पेश हो।

18-5-22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब दावा कार्य हस्तक्षेप किये नकल जवाब प्रति को दी गई वास्ते बहस पत्रावली 24-5-22 को पेश हो।

24-5-22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित न्यायालय समय अभाव के कारण पत्रावली 25-5-22 को पेश हो।

26-5-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप.। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस वाद-पत्र पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जरे तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नारेली (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

86 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 20.10.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. प्रहलाद आत्मज जीवन जाति मीणा निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– वादी

बनाम

1. रामलक्ष्मण आत्मज धन्नालाल जाति मीणा निवासी कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. रामघणी पुत्री मोहनलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा की झौपडीयां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. मोहनलाल आत्मज गोबरीलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा की झौपडीयां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट0।
उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट (वादी)।

–: निर्णय :–   दिनांक :– 26.05.2022

वादी द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 में पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता नया 92 मे खसरा संख्या 155 / 3 रकबा 0.99

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

क्ट0 किस्म नहरी वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ में स्थित है।जिसका वादी खातेदार काश्तकार है। वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादीगण 1 व 2 ने खसरा संख्या 155/3 के पूर्वी ओर की भूमि प्रार्थी के भाई जवाहरीलाल से क्रय की गई थी। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण 1 व 2 के बीच में वर्षो से चली आ रही सीमाबन्दी की मेड को ट्रेक्टर चलाकर तोड दिया गया और जबरन वादी के खेत में सरसों की फसल बौने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण 1, 2, 3 येन केन प्रकारेण वादी को उसकी कृषि भूमि से बेदलख करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की तरफ से खण्डनात्मक जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के बीच कोई विवाद नही है वादी द्वारा बिना वजह प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से दावा पेश किया है और निवेदन कि वादी का वाद–पत्र खारिज फरमाया जावे।वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वंत 2075–78 पेश की है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद–वर्णित आराजी खसरा संख्या 155/3 रकबा 0.99 हैक्ट0 वाके ग्राम झपायता वादी के खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की दखअदांजी नही करे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है अतः वाद–पत्र को खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया वाद–पत्र के अवलोकन से प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है

उपखण्ड अधिकारी
नाहेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को न्यायहित में पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद–वर्णित आराजी खसरा 155/3 रकबा 0.99 हैक्ट0 वाके ग्राम अपायता तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि पर वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधी से करावे तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम...लाखेरी......................
.....व इजलास............श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1. प्रहलाद आत्मज धन्नालाल जाति मीणा .... **बनाम.......** 1.रामलक्ष्मण आ0 धन्नालाल जाति मीणा निवारी कोटाखुर्द तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
झपायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

(वादी)

2.रामधणी पुत्री मोहनलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा की झौपडीयां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3.मोहनलाल आत्मज गोवरीलाल जाति मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा की झौपडीयां तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत...........188 आर0 टी0 एक्ट..

मुकदमा नम्बर.................................86 / दावा / 2021...............................सन...यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरू...हमरे...व हाजिरी

1.श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रुबरू.........श्री महेन्द्र रेवारी एडवोकेट..........
. ...मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाता है प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद–वर्णित आराजी खसरा 155 / 3 रकबा 0.99 हैक्ट0 वाके ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि पर वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे न तो स्वंय करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधी से करावे।

निज...मुबलिग..बाबत..खर्चा इन के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **.....26.....माह.. ..05........ सन...2022**.......
.................को जारी की गई

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सवूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॅान		
5.खर्चा गवाहॅान			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.वावत इजराय हुक्मनामा		
7.वावत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner